facilities from some public sector banks and the exposure of these banks is presently estimated to be in the region of Rs. 12 crores.

(c) Consequent upon a petition filed by the Reserve Bank of India under section 45 MC of the Reserve Bank of India Act, the Delhi High Court has appointed a Provisional Official Liquidator. The Liquidator has initiated steps to crystallize the assets and liabilities of the company. He is being assisted by the officials of RBI, CBI arid some public sector banks in this regard. The issue of settlement of claims of creditors, including banks, is now subjudice and would proceed as per the provisions of law and the directions of the Delhi High Court.

प्राथंमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी निर्देध

694. **श्री राम जेठमलानी** :वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार देश में बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंको को कुल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किए जाने के पुराने निर्देशों में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो दिये गये नवीन निर्देशों का ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए लक्ष्य में निवल बैंक ऋण के 33 1/3 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी । और यह मार्च, 1985 तक प्राप्त किया जाना था । तब से ही निर्धारित लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं । प्राथमिकता क्षेत्र को निदेशित ऋण देने का मूल्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण खण्ड के अन्तर्गत कमजोर वर्गो और छोटे उधारकर्ताओं की सहायता करना हैं और इसीलिए बैंकों से कहा गया हैं कि वे इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की अनुपालना करें । तथापि, निवेश आदि में मूल्य में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न संघटकों के अतंर्गत निम्निलिखित संशोधन किए गए हैं :-

(i) लघु उद्योगों की परिभाषा में समय-समय पर संधोधन किया गया हैं और वर्तमान में इसमें वे ईकाइयां सम्मिलित हैं जिनकी संयंत्र और मशीन में निवेशों की मूल लाग 60 लाख रुपए (अनुषंगी और विर्यातोन्मुख ईकाइयों के लिए 75 लाख रुपए) से अधिक नहीं हैं ।

(1) प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत निजी खुदरा व्यापारियों (उनके अलावा जो अनिवार्य वस्तु वस्तुओं, उचित दर की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी स्टोर से संबंधित हैं) को अग्रिमों के लिए सीमा मार्च, 1994 में 25,000/- रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दी हैं ।

(2) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत छोटे कारोबार की परिभाषा की मार्च, 1994 में पुनरीक्षा की गई हैं जिसमें कि उन ईकाइयों (जो मुख्यतः व्यावसायिक सेवा से भिन्न कोई अन्य सेवा प्रदान कराने के प्रयोजन से स्थापित की गई हों) को सम्मिलित किया जा सके तथा जिनकी कारोबार के प्रयोजन के लिए मूल प्रयोग किए गए उपस्कर की लागत 10 लाख रुपए से अधिक न हो और जिसकी कार्यशी पूंजी की सीमा 5 लाख रुपए तक हो (जो क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए से संशोधित की गई हैं)

(3) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्तियों को अग्रिमों के लिए सीमा मई, 1994 में (2 लाख रुपए से) 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई हैं जिसमें से 1 लाख रुपए से अधिक कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, व्यसवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चिकित्सकों जो अपनी प्रेक्टिस अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, के लिए तदनुरूपी सीमा क्रमशः 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए हैं ।

(4) प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, आवास वित्त के लिए सीमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वितत, दोनों के संबंध में फरवरी, 1997 में प्रति आवास ईकाई 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई हैं ।

विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक सहायता

695. **श्री राम जेठमलानी** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच हैं कि विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा भारत को वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न रूपों में